बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
★ सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
★ सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- ★ सआदत हसन मिन्टो
★ राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- ★ राजचन्द वार्लियार
★ अनिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- ★ चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- ★ विनोद आनन्द

पत्रांक : 49 दिनांक 7/9/2012

सेवा में,

प्रधान सचिव
वित्त विभाग, बिहार ,पटना।

विषयः– दिनांक 01.01.2009 एवं उसके बाद नियुक्त बि•प्र•से• के पदाधिकारियों का वित्त विभाग के संकल्प संख्या–630 दिनांक–21.01.2010 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या कर गलत संशोधित वेतन पूर्जा निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के 47वीं एवं 48–52वीं बैच के पदाधिकारियों का सेवा में योगदान की तिथि 01.01.2009 के बाद की है तथा पूर्व में इस बैच के पदाधिकारियों का वेतन पूर्जा PB-2 ग्रेड पे–5400 में वित्त विभाग के संकल्प संख्या–630 दिनांक–21.01.2010 की कंडिका–8 के आलोक में schedule-II के अनुरुप निर्गत किया गया था (निर्गत वेतन पूर्जा की छायाप्रति संलग्न)।

पुनः इन सभी बैच के पदाधिकारियों को संशोधित वेतन पूर्जा निर्गत करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें इनका वेतन PB-2 के मूल प्रक्रम 9300 के साथ ग्रेड पे 5400 जोड़कर निर्गत किया जा रहा है जो कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या–630 दिनांक–21.01.2010 की कंडिका–8 में वर्णित प्रक्रिया के विरुद्ध है(निर्गत वेतन पूर्जा की छायाप्रति संलग्न)। संकल्प की कंडिका–8 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार के वैसे कर्मी जो दिनांक 01.01.2006 एवं उसके बाद सेवा में नियुक्त होते हैं, उनके वेतन का निर्धारण उक्त संकल्प की schedule-II में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही होगी। यह schedule-II षष्ठम केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा विनिर्मित एवं केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत अनुसूची के आधार पर ही है।

इस संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–7101 दिनांक–01.08.2011 की कंडिका 2(II) में संकल्प संख्या–630 दिनांक– 21.01.2010 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हुए को 31.12.2008 के पश्चात् लागू नहीं बताया जाना अनुचित एवं arbitrary है।

ज्ञातव्य है कि केन्द्र सरकार में भी 01.09.2008 एवं उसके बाद के नियुक्त केन्द्रीय कर्मियों का वेतन निर्धारण भारत सरकार के राजपत्र संख्या–470 दिनांक–29.08.2008 की कंडिका–8 के अनुरुप Part A के First Schedule के Section-II के आलोक में किया गया है, जो राज्य सरकार की schedule-II के सदृश्य है (केन्द्र सरकार के 25.07.2011 को नियुक्त सहायक की नियुक्ति एवं वेतन निर्धारण आदेश की छायाप्रति संलग्न) ।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि संशोधित वेतन पूर्जा निर्गत करने में अपनाई जा रही इस गलत प्रक्रिया को तुरत रोकने का आदेश दिया जाय तथा उपरवर्णित त्रुटियों को अविलम्ब दूर करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
सुशील 7/9/12
सुशीलकुमार
महासचिव

बिहार सरकार (Govt. of Bihar)

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग (Finance (P.C.F.C.) Department)

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की PCFC/GAD/BAS/2012/0053
राजपत्रित पदाधिकारियों हेतु वेतनपुर्जा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को संबंधित पदाधिकारी के वेतन/अवकाश वेतन की निकासी हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

श्री खगेश चन्द्र झा
पदनाम:परीक्ष्यमान उपसमाहर्त्ता

पता:- फ्लैट नं0-101, जगदेवन कुंज अपार्टमेंट, हनुमान नगर, न्यू पुनाईचक, पटना 800027

वेतनमान :PB-02 9,300-34,800
वेतनवृद्धि की देय तिथि :N/A
कुल पृष्ठ : 1 कुल कंडिका 2
उपलब्ध उपार्जित अवकाश :26 दिन

वेतन पुर्जा संख्या: **17081223006481**
प्राप्ति संख्या : **140812230064**

अस्थायी

महत्वपूर्ण : यह वेतनपुर्जा कम्प्यूटरीकृत है और इसमें किसी प्रकार का सुधार मान्य नहीं है। यह वेतनपुर्जा प्राधिकृत कोषागार के लिए ही मान्य होगा। वेतन निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ही की जाएगी। यह वेतनपुर्जा तभी तक अनुमान्य होगा जबतक पदाधिकारी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर कार्यरत रहेंगे।

	1	2
तिथि से	4/2/12	1/4/12
मूल वेतन	15.490	16.120
को.वे.	5.400	5.400
मंह.भ.	13.579	13.988
चि.भ.	200	200
म.कि.भ.	4.178	4.304
परि.भ.	1.000	1.000

******************** *End Of Row* ********************

कुल वेतन	39,847	41,012

राशि शब्दों में :
1. Rupees Thirty Nine Thousand Eight Hundred Forty Seven Only
2. Rupees Forty One Thousand Twelve Only

वेतनपुर्जा निर्गत किया जाता है:
1. कोषागार पदा०/ उप कोषागार पदा० पटना समाहरणालय
2. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदा०

अभ्युक्ति :
सभी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण ,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
वेतन पुर्जा संख्या : 17081223006481
प्राप्ति संख्या : 140812230064

सेवा में,
वरीय उपसमाहर्त्ता
प्रभारी स्थापना शाखा, पटना समाहरणालय, जिला-पटना

प्राधिकृत पदाधिकारी

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, पुराना सचिवालय, बैरक नं० 12, पटना

Solution Provided By:- Software Education & Research (P) Ltd

बिहार सरकार (Govt. of Bihar)

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग (Finance (P.C.F.C.) Department)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद पदनाम:प्रशिक्ष्यमान उप-समाहर्त्ता, पता:- समाहरणालय, बेगूसराय वेतन पुर्जा संख्या: 31081223006728 प्राप्ति संख्या : 170812230049 अस्थायी	पदाधिकारी प्रति PCFC/BAS/BAS/2012/0001 राजपत्रित पदाधिकारियों हेतु वेतनपुर्जा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को संबंधित पदाधिकारी के वेतन/अवकाश वेतन की निकासी हेतु प्राधिकृत किया जाता है। वेतनमान ;PB-02 9,300-34,800 वेतनवृद्धि की देय तिथि ;01-जुलाई कुल पृष्ठ : 1 कुल कंडिका 4 उपलब्ध उपार्जित अवकाश :

महत्वपूर्ण : यह वेतनपुर्जा कम्प्यूटरीकृत है और इसमें किसी प्रकार का सुधार मान्य नहीं है। यह वेतनपुर्जा प्राधिकृत कोषागार के लिए ही मान्य होगा। वेतन निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ही की जाएगी। यह वेतनपुर्जा तभी तक अनुमान्य होगा जबतक पदाधिकारी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर कार्यरत रहें।

	1	2	3	4
तिथि से	31/12/10	1/7/11	5/2/12	1/7/12
मूल वेतन	9,300	9,300	9,750	10,210
को.वे.	5,400	5,400	5,400	5,400
मंह.भ.	6,615	8,526	9,848	10,147
चि.भ.	200	200	200	200
म.कि.भ.	1,470	1,470	1,515	1,561
कुल वेतन	22,985	24,896	26,713	27,518

End Of Row

राशि शब्दों में :

1. Rupees Twenty Two Thousand Nine Hundred Eighty Five Only
2. Rupees Twenty Four Thousand Eight Hundred Ninty Six Only
3. Rupees Twenty Six Thousand Seven Hundred Thirteen Only
4. Rupees Twenty Seven Thousand Five Hundred Eighteen Only

वेतनपुर्जा निर्गत किया जाता है:   बेगूसराय

1. कोषागार पदा०/ उप-कोषागार पदा०
2. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदा०

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

वेतन पुर्जा संख्या: 31081223006728   प्राप्ति संख्या : 170812230049

उप-समाहर्त्ता (स्थापना),

समाहरणालय, बेगुसराय

अभ्युक्ति : पूर्व में इस कोषागार द्वारा निर्गत वेतन पुर्जा पत्रांक-233(23) दिनांक-24-1-2011 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाय।

प्राधिकृत पदाधिकारी

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, पुराना सचिवालय, बैरक नं० 12, पटना

NO.Q/PC/578/16/2011
Government of India
Ministry of External Affairs
(PC Section)

New Delhi, the 25th August, 2011

ORDER

Subject :Appointment as Assistant in Grade-IV of the General Cadre of IFS(B) on the basis of Combined Graduate Level Examination 2010 conducted by Staff Selection Commission.

*****

On the basis of the results of the Combined Graduate Level Examination 2010, conducted by Staff Selection Commission, the President is pleased to appoint **Shri Ramesh Kumar Jha (Rank SLA/00006) as Assistant,** Grade-IV of General Cadre of IFS (B) of the Ministry of External Affairs with effect from the afternoon of **25.07.2011.**

2. The Pay of Shri Ramesh Kumar Jha is fixed at **₹12,540/-** in the Pay Band-2 of **₹ 9300-34800** with Grade Pay of **₹4600/-** of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 on the terms and conditions as laid down in Memorandum of even number dated 25th April, 2010.

3. Shri Ramesh Kumar Jha has been medically examined by the Superintendent, St. George's Hospital, Mumbai and found **'fit'** for his appointment. The process of verification of his character and antecedents by this Ministry has not been completed. Based on the **satisfactory verification report of Character & antecedents** at the time of his appointment in the Office of the Commissioner of Central Excise, Kolhapur, Shri Ramesh Kumar Jha is **provisionally** appointed in the Ministry of External Affairs. However, his appointment is subject to the condition that if any adverse report is found against him subsequently, his services would be terminated.

(R. Chandramouli)
Under Secretary to the Government of India

Shri Ramesh Kumar Jha,
C/o Dilip Kumar Mishra,
A-2, 401, Sunder Nagar CHSL,
(Near Kanakia Police Station)
Meera Road(East), Thane(Maharashtra)